राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2634/2024

उर्मिला चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.08.2024
आदेश की दिनांक : 19.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 एवं 25.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी उपनिदेशक के पद पर कार्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर उसको निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग जिला बीकानेर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को एपीओ कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में दर्शाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय, खजूरी नैनवां बून्दी में स्थानान्तरण किया गया। उनका आगे यह कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने चयन प्रक्रिया से अपीलार्थी का राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 क के तहत एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर आदेश दिनांक 12.09.2023 (अनुलग्नक–4) से चयन किया गया है। अपीलार्थी की उपनिदेशक के पद पर उक्त प्रतिनियुक्ति साधारण नहीं होकर चयन प्रक्रिया से साक्षात्कार से अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन है। चयन आदेश दिनांक 12.09.2023 की पालना में अपीलार्थी ने उपनिदेशक के पद पर दिनांक 13.09.2023 (अनुलग्नक–6) को कार्यग्रहण किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कहना है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 13.07.2023 से प्रतिनियुक्ति के लिये साक्षात्कार आयोजित किये गये थे। उक्त चयन प्रक्रिया में अपीलार्थी ने भी आवेदन किया था और चयन प्रक्रिया में चयनित होने के उपरान्त ही अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति हुई है। उनका यह कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रतिनियुक्ति को समाप्त किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि उक्त प्रतिनियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के पश्चात चयन द्वारा किया गया था और यह साधारण प्रतिनियुक्ति नहीं होकर अपॉइंटमेंट ऑन डेपूटेशन था, ओर ऐसे अपॉइंटमेंट ऑन डेपूटेशन को केवल असंतोषजनक कार्य या अनुपयुक्ता के आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है अपीलार्थी को चयन के माध्यम से डेपूटेशन पर हुये ऐसे पदस्थापन के संबंध में उसे अभिलोप्य (Indefeasible) अधिकार उत्पन्न हो जाते है, उन्होने उक्त तर्को के संबंध में उन्होंने निम्नलिखित विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. श्रीमती शशि सिंह बनाम राज्य एवं अन्य
   (एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 3299/2002)

2. उच्चत्तम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अशोक कुमार रतिलाल पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2012)7 एस.सी.सी. पेज नं. 757)
   जिनमें चयन प्रक्रिया से किये गये है **अपॉइंटमेंट ऑन डेपूटेशन** को निर्धारित समयावधि से पहले समाप्त किये गये है, उन्हें अनुचित एवं विधि के विरूद्ध माना है। उन्होने आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2024 (अनुलग्नक–3) के संबंध में तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.01.2023 एवं 03.01.2024 की अवहेलना में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त परिपत्र में प्रतिबंध की अवधि में स्थानान्तरण नहीं किये जाने के दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त आलोच्य आदेश में भी राज्य

सरकार के परिपत्रों के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमति लिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय एसबीसिविल रिट पीटीशन संख्या 417/2024 गीता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में प्रतिबंध की अवधि में किये गये स्थानान्तरणों को अनुचित एवं अवैध माना है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने प्रतिबंध की अवधि प्रभावी होने के उपरान्त भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 25.08.2024 (अनुलग्नक–3) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान निरंतर कार्य करने के निर्देश प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था। विज्ञप्ति दिनांक 13.07.2023 के अनुसार उक्त प्रतिनियुक्ति मात्र एक वर्ष के लिये और संतोषजनक सेवायें होने पर 4 वर्ष तक आगे बढाने के लिये थी। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण पश्चात् उसकी संतोषजनक सेवायें नहीं होने के कारण उसकी आगामी वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति अवधि नहीं बढाते हुये उसकी प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है, जो नियमानुसार एवं विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर नियमित बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसकी प्रतिनियुक्ति को आगे नहीं बढाया गया है। जिसके कारण उसकी प्रतिनियुक्ति सेवा एक वर्ष पूर्ण होने पर नियमानुसार निरस्त की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उपनिदेशक के पद पर कार्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर उसको निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग जिला बीकानेर में उपस्थिति देने हेतु

निर्देशित किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को एपीओ कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में दर्शाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खजूरी नैनवां बून्दी में स्थानान्तरण किया गया। जहां तक अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से आलोच्य आदेश के द्वारा निरस्त किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति सेवा प्रारंभ में एक वर्ष के लिये और संतोषजनक सेवायें पाये जाने पर नियमानुसार अधिकतम 4 वर्ष के लिये बढाये जाने की शर्तें विज्ञप्ति में उल्लेखित की गई थी और विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार ही अपीलार्थी को पूर्व में एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया, परंतु अपीलार्थी की संतोषजनक सेवायें नहीं पाये जाने पर उसकी प्रतिनियुक्ति सेवाओं को निरस्त किया गया है, जिसमें हमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है, क्योंकि यह नियोक्ता का अधिकार है। जहां तक एक वर्ष पूर्ण होने से पहले अपीलार्थी की सेवायें समाप्त किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 22.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को एक वर्ष पूर्ण उपरांत ही प्रतिनियुक्ति निरस्त की गई और उनके मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.08.2024 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को पदस्थापन करने हेतु स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य